

FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :-	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
iii.	परियोजना की कुल लागत -	85 करोड़ 79 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु माँग कि गई वनभूमि न्युनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है तथा तकनीकी दृष्टिकोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बरमकेला, तमनार एवं रायगढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी रायगढ़।
vii.	सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार।

2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii	जिला -	रायगढ़
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	चेक लिस्ट क्र. 3 संलग्न।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा -	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 हैं. राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा -	प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाइन विद्यमान मार्गों के राइट ऑफ वे में बिछाया जाना है। जिसमे किसी भी प्रकार के खड़े वृक्ष नहीं है अतः क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता -	0.4-0.6
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	आवश्यक नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयो को संलग्न करें)	नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना /स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा -	आरक्षित वन - 2.991 हैं. संरक्षित वन - 4.541 हैं. नारंगी क्षेत्र - 0.945 राजस्व वन - 0.329 हैं. रायगढ़ वनमंडल के अधीनस्थ आवेदित कुल वनभूमि - 8.806 हैं.

viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां -	नहीं है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	नहीं है।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	इस परियोजना में व्यक्तियों का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना -	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -	आवश्यक नहीं है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -	आवश्यक नहीं है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -	आवश्यक नहीं है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है।
vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -	आवश्यक नहीं है।

vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
	a. पारेषण लाईन की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
	c. मार्ग का अधिकार -	आवश्यक नहीं है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -	आवश्यक नहीं है।
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	
i	कुल आवाह क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
iii	कुल जलाशय स्तर -	आवश्यक नहीं है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर -	आवश्यक नहीं है।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर -	आवश्यक नहीं है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) -	आवश्यक नहीं है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र-	आवश्यक नहीं है।
ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नहीं है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -	आवश्यक नहीं है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
xiii	कुल वित्तीय परिच्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -	आवश्यक नहीं है।

8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -	आवश्यक नहीं है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
iii	पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -	आवश्यक नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)	आवश्यक नहीं है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -	आवश्यक नहीं है।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -	आवश्यक नहीं है।
v	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -	आवश्यक नहीं है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें -	आवश्यक नहीं है।
ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन -	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना -	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन -	आवश्यक नहीं है।

	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां -	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेलवे मार्ग/रज्जु मार्ग काकांकेर कांकेर निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नहीं है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -	आवश्यक नहीं है।
xiii	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -	आवश्यक नहीं है।
xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नहीं है।
xv	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण -	आवश्यक नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नहीं) यदि हां तो -	आवेदक द्वारा आवेदित वनभूमि में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -	-----
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -	-----
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -	-----

	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -	-----
14	कोई अन्य सूचना -	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात -	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रायगढ़ जिला के रायगढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 8.806 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -	
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -	
	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति -	
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका -	
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें -	प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



वनमण्डलाधिकारी,
रायगढ़ वनमण्डल,
जिला - रायगढ़, (छत्तीसगढ़).